[2019] 13 एस.सी.आर. 949

राज कुमार

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1541)

अक्टूबर 04, 2019

[दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस, जे.जे.]

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954: धारा 13(2) - का अनुपालन न करना - दूध का नमूना - दूध ठोस गैर वसा (एमएसएनएफ) 8.5% के निर्धारित मानक के मुकाबले दूध के नमूने में 7.7% एमएसएनएफ पाया गया - द्वारा दिया गया विकल्प मजिस्ट्रेट ने अपीलकर्ता को सीएफएल को नमूना भेजने के लिए कहा - अपीलकर्ता ने सीएफएल को विश्लेषण के लिए दूसरा नमूना भेजने के लिए मजिस्ट्रेट के पास आवेदन न करके अपना अधिकार त्याग दिया। अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 13(2) के गैर-अनुपालन की शिकायत नहीं कर सकता।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954: यहां तक कि निर्धारित मानक से मामूली विचलन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है - अधिनियम के तहत आने वाले खाद्य पदार्थों के मामलों में, यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था - यदि खाद्य पदार्थ का कोई लेख विफल रहता है मानकों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो इसे मिलावटी वस्तु माना जाएगा, भले ही यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो - यदि मानकों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो अदालत द्वारा मिलावट के आरोप वाले अभियुक्त को केवल इस आधार पर बरी करना उचित नहीं है। कमी सीमांत है.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 433 - सजा में कमी का दायरा - माना गया: धारा 433 के तहत शक्तियों का प्रयोग केवल उपयुक्त सरकार द्वारा किया जा सकता है - उपयुक्त सरकार की इस शक्ति को अदालतों द्वारा हड़पा नहीं जा सकता है और सरकार नहीं कर सकती है 'औपचारिक अनुपालन आदेश' पारित करने का निर्देश दिया जाए।

भारत का संविधान: अनुच्छेद 142 - अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग कानून के विशिष्ट प्रावधान के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है - पीएफए अधिनियम की धारा 16(1)(ए) मिलावट के अभिशाप को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम छह महीने की सजा का प्रावधान करती है। और नागरिकों (विशेष रूप से बच्चों, जब दूध शामिल है) के स्वास्थ्य पर मिलावट और घटिया भोजन के हानिकारक प्रभाव के लिए, विधानमंडल ने न्यूनतम छह महीने की सजा का प्रावधान किया - समय बीतने से इनकार नहीं किया जा सकता हैन्यूनतम से कम सजा देने का बहाना - इसके अलावा, अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का उपयोग कानून के पूर्ण उल्लंघन में नहीं किया जा सकता है - जब कानून द्वारा न्यूनतम सजा निर्धारित की जाती है, तो यह न्यायालय कला के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। 142, पूरी तरह से कानून के विपरीत आदेश पारित करना - यदि ऐसी शक्ति का उपयोग खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में निर्धारित न्यूनतम से कम सजा देने के लिए किया जा सकता है, तो हत्या और बलात्कार के मामलों में भी, यह न्यायालय समान सिद्धांतों को लागू करते हुए सजा दे सकता है। न्यूनतम से कम - यह, अनुच्छेद 142 का उद्देश्य नहीं है - अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है कि वे कानून का ही मजाक बना दें - न्याय प्रशासन - खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 .

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए

माना: 1. अपीलकर्ता की दलील थी कि नमूने का विश्लेषण करने में देरी हुई और इसलिए, एमएसएनएफ में मामूली कमी को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह नमूने के परीक्षण में देरी के कारण हुआ होगा। यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि इस दावे का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। अपीलकर्ता ने इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक विश्लेषक को जिरह के लिए बुलाना भी उचित नहीं समझा। चूंकि नमूना फॉर्मेलिन का उपयोग करके संरक्षित किया गया था, इसलिए आरोपी को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। [पैरा 3]

शंभु दयाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(1979) 1 एससीसी 202: [1979] 2 एससीआर 341 - संदर्भित।**

2. उठाया गया दूसरा तर्क यह था कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 13(2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया क्योंकि अपीलकर्ता को अपना दूसरा नमूना केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला में भेजने का अवसर नहीं दिया गया था। (सीएफएल) विश्लेषण के लिए। यह तर्क भी निराधार है. सभी अदालतों ने तथ्यात्मक निष्कर्ष दिया है कि अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अपीलकर्ता को 18.02.1996 को नोटिस भेजा गया था। अपीलकर्ता ने सीएफएल द्वारा अपने नमूने का विश्लेषण कराने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया। अपीलकर्ता का आग्रह है कि नमूना लेने के तीन महीने बाद उसे यह विकल्प दिया गया था और दूसरा नमूना स्पष्ट रूप से विश्लेषण के लिए अयोग्य हो गया होता। यह भी तर्क दिया गया है कि 15.02.1996 को दायर की गई शिकायत दोषपूर्ण थी और दोषों को केवल तभी दूर किया गया था27.06.1996 और उसके बाद, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत कोई विकल्प नहीं दिया गया था। यह तर्क पूरी तरह से बिना किसी योग्यता के है। जब मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लिया तो अपीलकर्ता को दूसरा नमूना सीएफएल को भेजने का विकल्प दिया गया। शिकायत इस अर्थ में पूरी नहीं हो सकती है कि गवाहों की सूची दायर नहीं की गई थी, लेकिन इससे, किसी भी तरह से, सीएफएल से दूसरे नमूने का विश्लेषण कराने के अपीलकर्ता को दिए गए अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि अपीलकर्ता ने अपने विकल्प का प्रयोग किया होता और मजिस्ट्रेट ने दूसरा नमूना सीएफएल को नहीं भेजा होता, या यदि सीएफएल ने रिपोर्ट दी होती कि नमूना विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो अकेले ही अपीलकर्ता को कुछ लाभ मिल सकता था। अपीलकर्ता ने सीएफएल को विश्लेषण के लिए दूसरा नमूना भेजने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन न करके अपना अधिकार त्याग दिया, और उसे इस संबंध में कोई शिकायत नहीं हो सकती है। [पैरा 4]

दत्तप्पा बनाम बुलडाणा नगर पालिका एआईआर **(38) 1951 नागपुर 191;** *दुली चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।* **1987 ऑल.एल.जे.971;** *करुणान बनाम खाद्य निरीक्षक* **1985 KLT.523;** *राम कुमार बनाम पंजाब राज्य 1982 (आई) एफ.ए.सी. 68; हंस राज बनाम पंजाब राज्य* **1980 (II) एफ.ए.सी. 396;** *उजागर सिंह बनाम पंजाब राज्य* **1980 (आई) एफ.ए.सी. 432;** *खाद्य निरीक्षक, पालघाट नगर पालिका बनाम करिंगराप्पुल्ली सहकारी समिति। मिल्क सोसायटी लिमिटेड एवं अन्य।* **1986**

के.एल.जे. 29; *पंजाब राज्य बनाम रमेश कुमार* 1984 सी.आर.एल. जे. 381; पंजाब राज्य बनाम तेजा सिंह 1976 Crl.L.J. 1648 - संदर्भित।

3. एक बार जब विधानमंडल द्वारा मानक निर्धारित कर दिए जाते हैं तो उन मानकों का पालन करना होता है। दूध जैसी वस्तुओं में, जो प्राथमिक भोजन है, अधिनियम के तहत यह साबित करना भी आवश्यक नहीं है कि खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थों के मामलों में यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। इस मामले में, निर्धारित करने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या लेख निर्धारित मानकों का अनुपालन करता है या नहीं। यदि यह मानकों का पालन करने में विफल रहता है तो इसे मिलावटी वस्तु माना जाएगा, भले ही यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक न हो। निर्धारित मानक से मामूली विचलन को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि मानकों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो न्यायालय द्वारा केवल मिलावट के आरोप में आरोपी को बरी करना उचित नहीं हैइस आधार पर कि कमी सीमांत है। [पैरा 8, 11]

4. सीआरपीसी की धारा 433 के अवलोकन से पता चलता है कि धारा 433 के तहत शक्तियों का प्रयोग केवल उपयुक्त सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। इन शक्तियों का प्रयोग इस न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। अधिक से अधिक, अदालत राज्य सरकार को सिफारिश कर सकती है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उपयुक्त सरकार की शक्ति को अदालतों द्वारा हड़पा नहीं जा सकता है और सरकार को 'औपचारिक अनुपालन आदेश' पारित करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा समान आदेश पारित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है। [पैरा 13][959-ई]

5. अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग कानून के विशिष्ट प्रावधान के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 16(1)(ए) में न्यूनतम छह महीने की सजा का प्रावधान है। मिलावट के अभिशाप और नागरिकों (विशेषकर बच्चों, जब दूध शामिल हो) के स्वास्थ्य पर मिलावट और घटिया भोजन के हानिकारक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, विधानमंडल ने न्यूनतम छह महीने की सजा का प्रावधान किया। न्यूनतम से कम सजा देने के

लिए समय बीतने का कोई बहाना नहीं हो सकता। इसके अलावा, अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का उपयोग कानून के पूर्ण उल्लंघन में नहीं किया जा सकता है। जब कानून द्वारा न्यूनतम सजा निर्धारित की जाती है, तो यह न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, कानून के पूरी तरह से विपरीत आदेश पारित नहीं कर सकता है। यदि ऐसी शक्ति का उपयोग खाद्य मिलावट के मामले में निर्धारित न्यूनतम से कम सजा देने के लिए किया जा सकता है, तो हत्या और बलात्कार के मामलों में भी, यह न्यायालय समान सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यूनतम से कम सजा दे सकता है। यह अनुच्छेद 142 का उद्देश्य नहीं है। अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है कि वे कानून का ही मजाक बना दें। [पैरा 14,15]

केरल राज्य बनाम परमेश्वरन पिल्लई वासुदेवन नायर **1975 सीआरएल। एल.जे. 97 - स्वीकृत।**

संतोष कुमार बनाम नगर निगम एवं अन्य। **(2000) 9 एससीसी 151;** *एन. सुकुमारन नायर बनाम खाद्य निरीक्षक, मावेलिकारा* **(1997) 9 एससीसी 101 - प्रति इंक्यूरियम।**

एम.वी. जोशी बनाम एम.यू. शिम्पी और अन्य. **एआईआर (48) 1961 एससी 1494;** *मालवा को-ऑपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड, इंदौर एवं अन्य। बनाम बिहारी लाल और अन्य।* **1973 एफ.ए.सी. 375;***नगरपालिका समिति, अमृतसर बनाम हजारा सिंह* **(1975) 1 एससीसी 794- संदर्भित।**

<u>केस कानून संदर्भ</u>

[1979] 2 एससीआर 341	**पैरा 3**	**को संदर्भित किया गया**
एआईआर (38) 1951 नागपुर 191	**पैरा 6**	**को संदर्भित किया गया**
1987ऑल.एल.जे.971	**पैरा 6**	**को संदर्भित किया गया**
1985 केएलटी 523	**पैरा 6**	**को संदर्भित किया गया**
1982 (आई) एफ.ए.सी. 68	**पैरा 6**	**को संदर्भित किया गया**

1980 (द्वितीय) एफ.ए.सी. 396	**पैरा 6**	**को संदर्भित किया गया**
1980 (आई) एफ.ए.सी. 432	**पैरा 6**	**को संदर्भित किया गया**
1986 के.एल.जे. 29	**पैरा 7**	**को संदर्भित किया गया**
1984सीआरएल.एल. जे. 381	**पैरा 7**	**को संदर्भित किया गया**
1976 सीआरएल.एल.जे 1648	**पैरा 7**	**को संदर्भित किया गया**
एआईआर (48) 1961 एससी 1494	**पैरा 9**	**को संदर्भित किया गया**
1973 एफ.ए.सी.ई. 375	**पैरा 10**	**को संदर्भित किया गया**
(1975) 1 एससीसी 794	**पैरा 10**	**को संदर्भित किया गया**
1975 करोड़ एल.जे. 97	**पैरा 10**	**स्वीकृत किया गया**
(2000) 9 एससीसी 151पर	**पैरा 12**	**इंक्यूरियम**
(1997) 9 एससीसी 101पर	**पैरा 12**	**इंक्यूरियम**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1541।

1999 के आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 2331 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 26.04.2017 से।

शांतनु बंसल, सलाहकार। अपीलकर्ता के लिए.

अजय कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता, अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद और संजय मौर्य, अधिवक्ता। प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

दीपक गुप्ता, जे.

1. अनुमति दी गई

2. दिनांक 30.10.1995 को खाद्य निरीक्षक द्वारा अपीलकर्ता से दूध का एक नमूना एकत्र किया गया था। इसे सार्वजनिक विश्लेषक को भेजा गया था, जिसे 02.11.1995 को यह प्राप्त हुआ था। नमूने का विश्लेषण किया गया और मिल्क फैट (संक्षेप में एमएफ) 4.6% और मिल्क सॉलिड नॉन-फैट (संक्षेप में एमएसएनएफ) 7.7% पाया गया, जबकि निर्धारित मानक 8.5% था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सहमति प्राप्त करने के बाद अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे दोषी ठहराया गया, जिसे सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।

3. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने कई मुद्दे उठाए। पहला यह था कि नमूने का विश्लेषण करने में देरी हुई थी और इसलिए, एमएसएनएफ में मामूली कमी को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, क्योंकि यह नमूने के परीक्षण में देरी के कारण हुआ होगा। हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इस दावे का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं है। अपीलकर्ता ने इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक विश्लेषक को जिरह के लिए बुलाना भी उचित नहीं समझा। ऐसी ही परिस्थितियों में जहां नमूनों के परीक्षण में 44 दिनों की देरी हुई थी, इस न्यायालय ने ***शंभू दयाल बनाम यूपी राज्य*** के मामले में कहा था कि चूंकि नमूना फॉर्मेलिन का उपयोग करके संरक्षित किया गया था, जैसा कि वर्तमान मामले में है, आरोपी को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। .

4. उठाया गया दूसरा तर्क यह था कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 13(2)2 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया क्योंकि अपीलकर्ता को इसका अवसर नहीं दिया गया था। उसका दूसरा नमूना विश्लेषण के लिए केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला (संक्षेप में सीएफएल) को भेजें। ये तर्क भी है बिना किसी योग्यता के. सभी अदालतों ने तथ्यात्मक निष्कर्ष दिया है कि अधिनियम की धारा 13(2) के तहत अपीलकर्ता को 18.02.1996 को नोटिस भेजा गया था। अपीलकर्ता ने सीएफएल द्वारा अपने नमूने का विश्लेषण कराने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया। अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि यह विकल्प उसे नमूना लेने के तीन महीने बाद दिया गया था और दूसरा नमूना स्पष्ट रूप से विश्लेषण के लिए अयोग्य हो गया होता। यह भी तर्क दिया गया है कि 15.02.1996 को दायर की गई शिकायत दोषपूर्ण थी और दोष 27.06.1996 को ही हटा दिए गए थे और उसके बाद, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत कोई विकल्प नहीं दिया गया था।

यह तर्क पूरी तरह से बिना किसी योग्यता के है। जब मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लिया तो अपीलकर्ता को दूसरा नमूना सीएफएल को भेजने का विकल्प दिया गया। शिकायत इस अर्थ में पूरी नहीं हो सकती है कि गवाहों की सूची दायर नहीं की गई थी, लेकिन इससे, किसी भी तरह से, सीएफएल से दूसरे नमूने का विश्लेषण कराने के अपीलकर्ता को दिए गए अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यदि अपीलकर्ता ने अपने विकल्प का प्रयोग किया होता और मजिस्ट्रेट ने दूसरा नमूना सीएफएल को नहीं भेजा होता, या यदि सीएफएल ने रिपोर्ट दी होती कि नमूना विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं है, तो अकेले ही अपीलकर्ता को कुछ लाभ मिल सकता था। अपीलकर्ता ने सीएफएल को विश्लेषण के लिए दूसरा नमूना भेजने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन न करके अपना अधिकार त्याग दिया, और उसे इस संबंध में कोई शिकायत नहीं हो सकती है।

5. अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया एक अन्य आधार यह है कि वह अनपढ़ है और हस्ताक्षर नहीं कर सकता, लेकिन खाद्य निरीक्षक ने हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए हैं। सभी अदालतों ने निष्कर्ष दिया है कि हस्ताक्षर अपीलकर्ता के हैं और इसे इन कार्यवाही में शामिल नहीं किया जा सकता है।

6. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने विभिन्न उच्च न्यायालयों जैसे ***दत्तप्पा बनाम बुलदाना नगर पालिका3 के कई निर्णयों का हवाला दिया; दुली चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; करुणनवस.खाद्य निरीक्षक5; राम कुमार बनाम पंजाब राज्य6; हंस राज बनाम पंजाब राज्य7*** औ***र उजागर सिंह बनाम पंजाब राज्य8,*** यह प्रस्तुत करने के लिए कि जब निर्धारित मानकों से मामूली भिन्नता होती है, तो अदालतों को आरोपी को संदेह का लाभ देना चाहिए। यह तर्क दिया जाता है कि दूध की गुणवत्ता न केवल मवेशियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर बल्कि मवेशियों के स्वास्थ्य और सीमांत पर भी निर्भर करती है। कमियाँ मनुष्यों के नियंत्रण से परे प्राकृतिक कारणों से हो सकती हैं।

7. हम यह बताने के लिए बाध्य हैं कि उपरोक्त विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णयों में से कई को खारिज कर दिया गया है। खाद्य निरीक्षक***, पालघाट नगर पालिका बनाम करिंगारप्पुल्ली को-ऑप में केरल*** उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ, ***करुणान*** (सुप्रा) के मामले का जिक्र करते हुए। मिल्क सोसाइटी लिमिटेड और अन्य ने कहा है कि करुणान के मामले में दिया

गया प्रस्ताव कानून की दृष्टि से अच्छा नहीं है। अपीलकर्ता ने उजागर सिंह के मामले (सुप्रा) के साथ-साथ राम कुमार के मामले (सुप्रा) पर भी भरोसा किया है*/ राम कुमार* के मामले *(*सुप्रा) ने उजागर सिंह के मामले (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि उस मामले में आरोपी मिलावट का दोषी नहीं है। हालाँकि, ***पंजाब राज्य बनाम रमेश कुमार10*** के मामले में ***पंजाब और हरियाणा*** उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने ***पंजाब राज्य बनाम तेजा सिंह11*** में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि ***उजागर सिंह*** का मामला (सुप्रा) अब प्रासंगिक नहीं है। कानून में अच्छा. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर वकील उन फैसलों का हवाला देते हैं जिन्हें खारिज कर दिया गया है।

8. हमारा सुविचारित विचार है कि एक बार विधानमंडल द्वारा मानक निर्धारित कर दिए जाने के बाद उन मानकों का पालन किया जाना चाहिए। अधिनियम के तहत दूध जैसी वस्तुओं में, जो एक प्राथमिक भोजन है, यह साबित करना भी आवश्यक नहीं है कि खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए अयोग्य या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया था। अधिनियम के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थों के मामलों में यह साबित करना आवश्यक नहीं है कि खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। इस मामले में, निर्धारित करने का एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या लेख निर्धारित मानकों का अनुपालन करता है या नहीं? यदि यह मानकों का पालन करने में विफल रहता है तो इसे मिलावटी अनुच्छेद 9 के रूप में माना जाएगा।

9 हम बता सकते हैं कि यह न्यायालय ***एम.वी.*** में है। ***जोशी बनाम एम.यू. शिम्पी और अन्य 12हेल्डस इस प्रकार हैं:***

> "7. ...इसलिए, यदि मक्खन की गुणवत्ता या शुद्धता उक्त नियम द्वारा निर्धारित मानक से नीचे आती है या इसके घटक परिवर्तनशीलता की निर्धारित सीमा से अधिक हैं, तो इसे अधिनियम की धारा 2 के अर्थ के तहत मिलावटी माना जाएगा। यदि निर्धारित मानक प्राप्त नहीं किया जाता है, तो क़ानून ऐसे मक्खन को, काल्पनिक रूप से, एक मिलावटी भोजन मानता है, हालांकि वास्तव में यह मिलावटी नहीं है। डालने के लिए दूसरे शब्दों में, कल्पना के कारण, किसी अभियुक्त के लिए यह साबित करना स्वीकार्य नहीं है कि, हालांकि निर्धारित मानक प्राप्त नहीं हुआ है, खाद्य पदार्थ वास्तव में मिलावटी नहीं है। निर्धारित मानक के अनुरूप न होना ऐसे मक्खन को मिलावटी खाद्य

पदार्थ बनाता है। अधिनियम की धारा 7 ऐसे भोजन के निर्माण, बिक्री, भंडारण या वितरण पर रोक लगाती है।..."

10. ***मालवा को-ऑपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड, इंदौर और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले में कुछ टिप्पणियाँ थीं। बनाम बिहारी लाल और अन्य 13*** का फैसला 14.08.1967 को हुआ, जिसकी कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा यह व्याख्या की गई कि यदि आवश्यकताओं को पूरा करने में मामूली कमियां थीं तो बरी करना उचित था***। मालवा सहकारी मामले (सुप्रा) से निपटते हुए इस न्यायालय ने नगरपालिका समिति, अमृतसर बनाम हजारा सिंह14*** में निम्नानुसार निर्णय दिया:

> ***"4. ...***दरअसल, ऊपर दिए गए इस न्यायालय के फैसले से पता चलता है कि हिदायतुल्ला, जे. जैसा कि वह तब थे) यह कानून नहीं बना रहे थे कि दूध के घटकों में न्यूनतम कमी के कारण खाद्य मिलावट के मामलों में बरी होना उचित हो।...

" इसके अलावा, इस न्यायालय ने अनुमोदन के साथ, केरल ***राज्य बनाम परमेश्वरन पिल्लई वासुदेवन नायर15*** में केरल उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले को उद्धृत किया, जो इस प्रकार था:

> **"13**. यह अधिनियम उपभोक्ता कानून का एक भाग है। यह कुछ हद तक उपभोक्ता-आपूर्तिकर्ता संबंधों को नियंत्रित करता है। उपभोक्तावादी भोजन के क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भोजन के उत्पादकों या विनिर्माताओं के बीच अनुशासन लागू करने की मांग करते हैं। उपभोक्ता की वैध अज्ञानता और उसकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने वालों की निष्पक्षता और क्षमता पर उसकी लगभग पूरी निर्भरता ने उसे शोषण का एक तैयार लक्ष्य बना दिया है। इस अधिनियम का उद्देश्य उसे सीधे धोखाधड़ी से बचाना है।
>
> 14. अधिनियम मिलावट की डिग्री के आधार पर इसके अंतर्गत आने वाले मामलों के बीच अंतर नहीं करता है। यह संदूषण की सीमा के आधार पर अपराध को बढ़ाने का प्रावधान नहीं करता है। चाहे मिलावट बड़ी हो या छोटी, अपराध और सजा एक ही है। खाद्य प्रदूषण, चाहे वह थोड़ी सी सीमा तक ही क्यों न हो, यदि व्यवहार में जारी रहा तो

प्रतिकूल प्रभाव डालेगा देश के हर पुरुष, महिला और बच्चे के स्वास्थ्य पर असर। इसलिए अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों की सीमांत या सीमा रेखा भिन्नताएं भी सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं और चूंकि सार्वजनिक हित उनमें शामिल हैं, कहावत है, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। कानून छोटी-छोटी बातों की चिंता नहीं करता, उन पर लागू नहीं होता।

15. अधिनियम के तहत निर्धारित मानक वह है जो निश्चित है। यदि यह किसी भी हद तक भिन्न है तो सामान्य मानक की निश्चितता को उतार-चढ़ाव वाले मानक की अनिश्चितताओं से बदल दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप होने वाली अप्रत्याशितता, अनिश्चितता और निष्पक्ष एवं सुसंगत निर्णयों पर पहुंचने की असंभवता के नुकसान बहुत बड़े हैं।

16. अधिनियम अधिनियम के संचालन से मानक के सीमांत या सीमा रेखा भिन्नताओं की छूट प्रदान नहीं करता है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे बदलावों को इस आधार पर माफ करना कि वे नगण्य हैं, वास्तव में अधिनियम के तहत तय किए गए मानक को ही बदलना है।

17. सरकार द्वारा उचित विचार-विमर्श के बाद और सक्षम व्यक्तियों की एक समिति से परामर्श के बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत वस्तुओं की गुणवत्ता के मानक तय किए गए हैं। मानक तय करने से पहले संभावित त्रुटियों के लिए उचित छूट देना उनका काम है। हो सकता है उन्होंने ऐसा किया भी हो. अन्यथा मानने का कोई कारण नहीं है. इसलिए निष्कर्ष यह है कि किसी खाद्य पदार्थ के लिए जब अधिनियम के तहत एक मानक तय किया गया है तो उसे हर विवरण में देखा जाना चाहिए।

11. उपरोक्त स्थापित कानून के मद्देनजर, हमारा मानना है कि यदि मानकों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो न्यायालय द्वारा मिलावट के आरोपी को केवल इस आधार पर बरी करना उचित नहीं है कि कमी मामूली है।

12. वकील की अंतिम दलील यह थी कि यह न्यायालय ***संतोष कुमार बनाम नगर निगम और अन्य 16*** में जो किया गया था उसका पालन कर सकता है, जहां समान परिस्थितियों में

छह महीने की कारावास की सजा को कम कर दिया गया था और राज्य सरकार को औपचारिक आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया था। रूपान्तरण. ऐसा प्रतीत होता है कि ***संतोष कुमार*** के मामले (सुप्रा) में बेंच ने ***एन. सुकुमारन नायर बनाम फूड इंस्पेक्टर, मवेलिकारा17 के*** फैसले का पालन किया, और हम पाते हैं कि इन दोनों में ऐसे मामलों में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में सीआरपीसी) की धारा 433 के दायरे और दायरे की कोई चर्चा नहीं है। इसलिए, हमारा विचार है कि ये निर्णय प्रति इन्क्यूरियम हैं और कोई कानूनी प्रस्ताव नहीं देते हैं कि ऐसे मामलों में सीआरपीसी की धारा 433 के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।

13. सीआरपीसी की धारा 433 इस प्रकार है:

"433. सज़ा कम करने की शक्ति.- उपयुक्त सरकार, सज़ा पाने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना,

(ए) मौत की सज़ा को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सज़ा को कम कर सकती है;

(बी) आजीवन कारावास की सजा, चौदह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माना;

(सी) कठोर कारावास की सजा, किसी भी अवधि के लिए साधारण कारावास जिसके लिए उस व्यक्ति को सजा दी जा सकती थी, या जुर्माना;

(डी) जुर्माने के साथ साधारण कारावास की सजा।"

सीआरपीसी की धारा 433 के अवलोकन से पता चलता है कि धारा 433 के तहत शक्तियों का प्रयोग केवल उपयुक्त सरकार द्वारा ही किया जा सकता है। इन शक्तियों का प्रयोग इस न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है। अधिक से अधिक, अदालत राज्य सरकार को सिफारिश कर सकती है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उपयुक्त सरकार की शक्ति को अदालतों द्वारा हड़पा नहीं जा सकता है और सरकार को 'औपचारिक अनुपालन आदेश' पारित करने के लिए निर्देशित नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हम इसी तरह का आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि यह इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे है।

14. यह भी आग्रह किया गया कि हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि घटना बीस साल से भी अधिक पहले हुई थी। हमारा स्पष्ट मानना है कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग कानून के विशिष्ट प्रावधान के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 16(1)(ए) में न्यूनतम छह महीने की सजा का प्रावधान है। मिलावट के अभिशाप और नागरिकों (विशेषकर बच्चों, जब दूध शामिल हो) के स्वास्थ्य पर मिलावट और घटिया भोजन के हानिकारक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, विधानमंडल ने न्यूनतम छह महीने की सजा का प्रावधान किया। न्यूनतम से कम सजा देने के लिए समय बीतने का कोई बहाना नहीं हो सकता।

15. इसके अलावा, हमारे विचार में, अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का उपयोग कानून के पूर्ण उल्लंघन में नहीं किया जा सकता है। जब कानून द्वारा न्यूनतम सजा निर्धारित की जाती है, तो यह न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, कानून के पूरी तरह से विपरीत आदेश पारित नहीं कर सकता है। यदि ऐसी शक्ति का उपयोग खाद्य मिलावट के मामले में निर्धारित न्यूनतम से कम सजा देने के लिए किया जा सकता है, तो हत्या और बलात्कार के मामलों में भी, यह न्यायालय समान सिद्धांतों को लागू करते हुए न्यूनतम से कम सजा दे सकता है। यह, हमारी राय में, अनुच्छेद 142 का उद्देश्य नहीं है। हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है कि वे कानून का ही मजाक बना दें।

16. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर हमें मामले में कोई योग्यता नहीं मिली और इसे खारिज कर दिया गया। आवेदन, यदि कोई हो, भी खारिज कर दिया जाएगा। आरोपी-अपीलकर्ता के जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं और उसे चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और सजा का शेष भाग भुगतने का निर्देश दिया जाता है। इस फैसले की एक प्रति ट्रायल कोर्ट को भेजी जाए ताकि यदि अपीलकर्ता आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

देविका गुजराल की अपील खारिज

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।